सं.19030/1/2017-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***

नई दिल्ली, 06 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सेवानिवृत्ति पर संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (सीटीजी) का दिया जाना।

व्यय विभाग में अनेकों संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन या ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से भिन्न स्टेशन में सेवानिवृत्ति के पश्चात व्यवस्थापन के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (सीटीजी) दिए जाने के बारे में मांग की गई है। इस संबंध में, मौजूदा नियमों के अनुसार, इस समय ड्यूटी में अन्तिम स्टेशन या ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से 20 किलोमीटर से अनधिक स्टेशन में व्यवस्थापन किए जाने के लिए सीटीजी की एक तिहाई राशि देय है।

2. इस विभाग में, इस मामले पर विचार किया गया है। दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4(ii) (क) और (ख) में आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार के उस कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति के पश्चात ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन या ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से भिन्न स्टेशन में व्यवस्थापन किए जाने की इच्छा व्यक्त की है, के संबंध में संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से 20 किलोमीटर की शर्त को हटा दिया जाए, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इसमें आवास का परिवर्तन वास्तविक रूप से शामिल है। सेवानिवृत्ति के पश्चात ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन या अन्तिम स्टेशन से भिन्न स्टेशन में व्यवस्थापन करने के लिए सीटीजी की पूरी राशि अर्थात अन्तिम माह के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से देय होगी। कर्मचारी को इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-I में संलग्न विहित प्रोफार्मा में आवास के परिवर्तन संबंधी स्व घोषणा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. यदि यह व्यवस्थापन अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में या इससे बाहर किया जाना है तो सीटीजी की राशि इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV के पैरा 4(ii) (क) के अनुसार अन्तिम माह के मूल वेतन के शत-प्रतिशत की दर से संदेय होगी।

4. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अंतर्गत अधिदेश के रूप में हैं।

5. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

6. इसे वित्त सचिव और सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
निदेशक

सेवा में

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपिः मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि।

अनुबंध-I

सेवानिवृत्ति पर संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (सीटीजी) के दावे के लिए निवास स्थान परिवर्तन का स्वतः घोषणा-प्रमाणपत्र

(व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 06.01.2022 के का.ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV का अनुबंध)

मैं, ... (कर्मचारी का नाम) एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ तथा प्रमाणित करता/करती हूँ किः

1. मैने अपनी सेवानिवृत्ति के उपरांत व्यवस्थापन के लिए अपना निवास स्थान..... से बदलकर..... कर लिया है।

2. यदि मेरे द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा किसी भी स्तर पर सही नहीं पायी जाती है तो मैं समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1976 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई तथा सरकार को शास्तिक ब्याज सहित रकम के प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक/पेशनभोगी का नाम----------

मंत्रालय/विभाग का नाम----------

पता और दूरभाष सं.----------

सेवा में

प्रशासनिक/स्थापना अनुभाग

मंत्रालय/विभाग----------